



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 618]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 778(अ).— केंद्रीय सरकार केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 52 के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साइबर विनियमन अपील अधिकरण (पीटर्सोन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रान्त के पूर्व किया गया है या करने से तोप किया गया है, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साइबर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तों) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "साइबर अपील अधिकरण" से अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर अपील अधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त साइबर अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **वेतन और भत्ते**— (1) अध्यक्ष और सदस्य को ऐसा वेतन और भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं, जिनके अंतर्गत वे सभी प्रसुविधाएं भी हैं, जिनका सचिव हकदार है :

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्यनिधि में नियोजक के अंशदान के रूप में किन्हीं सेवानिवृत्ति फायदों या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से पेंशन अथवा अंशदायी भविष्यनिधि में नियोजक के अंशदान अथवा किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों की, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा लिए गए हैं या लिए जाने वाले हों, सकल रशि को कम कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि किसी उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें विभिन्न अधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होंगी तथा उन्हें उस मंत्रालय के परामर्श से तय किया जाएगा ।

4. **छुट्टी**— अध्यक्ष और सदस्य ऐसी छुट्टी के लिए हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी के संबन्ध में लागू है ।

5. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी**— सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष और सदस्य को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

6. **पेंशन या भविष्यनिधि**— (1) यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या भारतीय विधि सेवा का कोई सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो अधिकरण में की गई सेवा उस सेवा के, जिससे वह संबंधित है, नियमों के अनुसार ली जाने वाली पेंशन के लिए गणना में ली जाएगी और वह साधारण भविष्यनिधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा ।

(2) सभी अन्य मामलों में, अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्यनिधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंध द्वारा शासित होंगे ।

7. **यात्रा और दैनिक भत्ते**— यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य, जब दूरे पर हों (जिसके अंतर्गत अधिकरण में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, धरेलू वस्तुओं के परिवहन और इसी प्रकार के अन्य मामलों के लिए उन्हीं दरों पर हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को लागू हैं ।

8. **छुट्टी यात्रा रियायत**— अध्यक्ष और सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत का उन्हीं दरों पर उपभोग करने के लिए हकदार होंगे, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं ।

9. **वाहन की सुविधा**— अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के सचिव द्वारा टैक्सी किराये पर लेने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार पूर्णकालिक आधार पर टैक्सी किराये पर लेने के लिए हकदार होंगे ।

10. **मकान किराया भत्ता**— अध्यक्ष और सदस्य उसी दर पर मकान किराया भत्ते के लिए हकदार होंगे जो तत्समय समतुल्य वेतन और श्रेणी वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

11. चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं—अध्यक्ष और सदस्य ऐसे चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होंगे जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम नियम, 1954 में उपबंधित है और उन स्थानों पर जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवृत्त नहीं है, वहां उक्त अध्यक्ष और सदस्य उन सुविधाओं के हकदार होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उपबंधित हैं।

12. पद और गोपनीयता की शपथ—यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, इन नियमों से उपाबद्ध क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

13. वित्तीय और अन्य हित की घोषणा—प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में, केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में, एक घोषणा देगा कि वह कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

14. अवशिष्ट उपबंध—अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की शर्तों से संबंधित ऐसा कोई विषय, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उन नियमों के अनुसार होगा, जो समतुल्य वेतन और श्रेणी वेतन लेने वाले केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को लागू हैं।

प्ररूप - 1
(नियम 12 देखिए)

साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं..... जो अध्यक्ष/सदस्य (उस भाग को काट दें जो लागू नहीं है) नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (वह भाग काट दें जो लागू नहीं है) के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

साइबर अपील अधिकरण

तारीख :

स्थान :

प्ररूप - 2
(नियम 12 देखिए)

साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं..... जो अध्यक्ष/सदस्य (उस भाग को काट दें जो लागू नहीं है) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो कोई विषय, अध्यक्ष/सदस्य (उस भाग को काट दें जो लागू नहीं है) मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाए जबकि के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

साइबर अपील अधिकरण

तारीख :

स्थान :

प्ररूप - 3

(नियम 13 देखिए)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं..... जो साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (उस भाग को काट दें जो लागू नहीं है) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता हूँ, न भविष्य में रखूँगा जिससे साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (उस भाग को काट दें जो लागू नहीं है) के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

साइबर अपील अधिकरण

तारीख :

स्थान :

[सं. 9(16)/2004 ई.सौ.]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

G.S.R. 778(E)— In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of Section 87, read with section 52 of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), and in supersession of the Cyber Regulations Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of the service of the Chairperson and Members of the Cyber Appellate Tribunal, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cyber Appellate Tribunal (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (b) "Cyber Appellate Tribunal" means the Cyber Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 48 of the Act;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Cyber Appellate Tribunal appointed under section 49 of the Act;
- (d) "Member" means the Member of the Cyber Appellate Tribunal appointed under section 49 of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary and allowances.— (1) The Chairperson and the Member shall be paid such salary and allowances, as are admissible to a Secretary to the Government of India, including all the benefits that a Secretary is entitled to.

Provided that in the case of appointment of a person as the Chairperson or the Member, as the case may be, who has retired as a Judge of the Supreme Court or a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson or the Member, as the case maybe, shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him:

Provided further that in case a retired Judge of a Supreme Court or a High Court is appointed as the Chairperson or the Member, as the case maybe, the terms and conditions of service of such Chairperson or Member shall be in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance in respect of appointment of Judges to various Tribunals and in consultation with that Ministry.

4. Leave.— The Chairperson and the Member shall be entitled to leave as are applicable to the Secretary to the Government of India in respect of earned leave, half pay leave, extraordinary leave, commutation of leave and casual leave.

5. Leave sanctioning authority.— The Secretary, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India, shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson and the Member.

6. Pension or Provident Fund.— (1) In case a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a member of the Indian Legal Service is appointed to the post of the Chairperson or the Member, the service rendered in the Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs, and he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(2) In all other cases, the Chairperson and the Member shall be governed by the provision of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

7. Travelling and daily allowances.— The Chairperson or the Member, as the case may be, while on tour (including the journey undertaken on the expiry of his term in the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are applicable to the Secretary to the Government of India.

8. Leave travel concession.—The Chairperson and the Member shall be entitled to avail leave travel concession at the same rates as are admissible to the Secretary to the Government of India.

9. Facility of conveyance.— The Chairperson and the Member shall be entitled to hire a taxi on whole time basis in accordance with the rules or orders for the time being in force for hire of taxi by the Secretary to the Government of India.

10. House rent allowance.—The Chairperson and the Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are, for the time being, admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing equivalent pay and grade pay.

11. Facilities for medical treatment.— The Chairperson and the Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities, as provided in the Central Government Health Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the said Chairperson and the Member shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

12. Oath of office and secrecy.— Every person appointed as the Chairperson or the Member, as the case may be, shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, in Form I and Form II respectively annexed to these rules.

13. Declaration of financial or other interest.— Every person, on his appointment as the Chairperson or the Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or the Member, as the case may be.

14. Residuary provision.— Any matter relating to the conditions of service of the Chairperson and the Member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be as per the rules applicable to the Group 'A' officers of the Central Government drawing equivalent pay and grade pay.

FORM – I
(See rule 12)

Form of Oath of Office for the Chairperson/Members of the Cyber Appellate Tribunal

I, _____, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*), of the Cyber Appellate Tribunal, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear of favour, affection or ill-will.

Dated:

Place:

(Name of the Chairperson/Member)
CYBER APPELLATE TRIBUNAL

FORM – II
(See rule 12)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Members of the Cyber Appellate Tribunal

I, _____, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*), of the Cyber Appellate Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*).

Dated

Place:

(Name of the Chairperson/Member)
CYBER APPELLATE TRIBUNAL

FORM – III
(See rule 13)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I, _____, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable*) of Cyber Appellate Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson /Member (*cross out portion not applicable*), of the Cyber Appellate Tribunal.

Dated:

(Name of the Chairperson/Member)
CYBER APPELLATE TRIBUNAL